सं0सं0–म0नि0–II–उ0 यो0–83/2020–21/ 45 रा0 (वि0)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(पशुपालन प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/दिनांक 27.12.24

विषय– केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्रांश 60:राज्यांश 40)" हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में निर्गत स्वीकृत्यादेशों के द्वारा स्वीकृत भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के कम में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में विमुक्त केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि मो0 4839.36 लाख (अड़तालीस करोड़ उनचालीस लाख छत्तीस हजार) रू0 मात्र के व्यय एवं योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40)" के वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में निर्गत स्वीकृत्यादेशों के द्वारा स्वीकृत भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के क्रम में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में विमुक्त केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि मो0 4839.36 लाख (अड़तालीस करोड़ उनचालीस लाख छत्तीस हजार) रू0 मात्र के व्यय एवं योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0–40 रा0 (वि0) दिनांक–17.02.2022, स्वीकृत्यादेश सं0 22 रा0 (वि0) दिनांक–07.11.2022, स्वीकृत्यादेश सं0–49 रा0 (वि0) दिनांक–23.03.2023, स्वीकृत्यादेश सं0–29 रा0 (वि0) दिनांक–01.12.2023 एवं स्वीकृत्यादेश सं0–34 रा0 (वि0) दिनांक–16.01.2024 के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति तथा स्वीकृत भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के क्रम में भारत सरकार द्वारा वर्तमान में विमुक्त केन्द्रांश **(Allocation of Central fund as Mother Sanction)** के साथ समानुपातिक राज्यांश की राशि को सम्मिलित करते हुए मो0 4839.36 लाख (अड़तालीस करोड़ उनचालीस लाख छत्तीस हजार) रू0 मात्र के व्यय एवं योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. **2.1** वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा पत्रांक F.No. j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) दिनांक 22.10.2024 द्वारा इस योजना अंतर्गत पूर्व वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत परियोजनाओं में अपने अंशदान के रुप में कुल मो0 3000.00 लाख (तीस करोड़) रू0 मात्र का **Allocation of Central fund as Mother Sanction** निम्न प्रकार विमुक्त किया गया है –

कम	लाभुकों की कोटि	भारत सरकार द्वारा Mother Sanction के रुप में विमुक्त राशि (लाख रू0 में)
1	General	1700.00
2	SCSP	500.00
3	TSP	800.00
	कुलः	**3000.00**

2.2 वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0 39 रा0 (वि0) दिनांक 14.10.2024 के लिए मो0 96.384 लाख (लघु शीर्ष 101 में मो0 45.276 लाख, लघु शीर्ष 789 में मो0 18.27 लाख एवं लघु शीर्ष 796 में मो0 32.838 लाख) रु0 मात्र केन्द्रांश के रुप में कर्णांकित करते हुए आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

2.3 इस योजना अंतर्गत पूर्व वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 में स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्रांश की अगली किस्त की राशि कुल मो0 2903.616 (उनतीस करोड़ तीन लाख एकसठ हजार छह सौ) रु0 मात्र की गणना निम्न प्रकार है –

(Rs. in lakh)

(क) सामान्य एवं महिला कोटि (GENERAL + WOMEN Category)

Sl. No.	Financial Year	Name of the Project - Fisheries Developmental proposal with Approval Date	Admn. Approval	Earlier Release by GoI	Current Release	Central share yet to be released by GoI
1	2021-22	GoJ approved vide order of even no. dated 28th September, 2021	2782.060	1999.016	783.044	0.00
2	2022-23	GoJ approved vide order of even no. dated 11th August, 2022	2028.274	870.680	520.840	636.754
3	2023-24	GoJ approved vide order of even no. dated 26th July, 2023 and 20th September, 2023	1995.910	138.330	336.956	1520.624
		Total :	**6806.244**	**3008.028**	**1640.84**	**2157.376**

(ख) अनुसूचित जनजाति कोटि (ST Category)

Sl. No.	Financial Year	Name of the Project - Fisheries Developmental proposal with Approval Date	Admn. Approval	Earlier Release by GoI	Current Release	Central share yet to be released by GoI
1	2021-22	GoJ approved vide order of even no. dated 28th September, 2021	906.16	679.79	226.37	0.00
2	2022-23	GoJ approved vide order of even no. dated 11th August, 2022	585.54	292.765	292.775	0.00
3	2023-24	GoJ approved vide order of even no. dated 26th July, 2023 and 20th September, 2023	705.96	176.49	261.901	267.569
		Total:	**2197.660**	**1149.045**	**781.046**	**267.569**

(ग) अनुसूचित जाति कोटि (SC Category)

Sl. No.	Financial Year	Name of the Project - Fisheries Developmental proposal with Approval Date	Admn. Approval	Earlier Release by GoI	Current Release	Central share yet to be released by GoI
1	2021-22	GoJ approved vide order of even no. dated 28th September, 2021	350.154	349.990	0.164	0.00
2	2022-23	GoJ approved vide order of even no. dated 11th August, 2022	286.920	286.920	0.00	0.00
3	2023-24	GoJ approved vide order of even no. dated 26th July, 2023 and 20th September, 2023	464.170	464.170	0.00	0.00
4	2023-24	GoJ approved vide order of even no. dated 26th December, 2023	840.240	75.114	481.566	283.560
		Total :	**1941.484**	**1176.194**	**481.730**	**283.560**
				Grand Total :	**2903.616**	**2708.505**

2.4 इस योजना अंतर्गत पूर्व वित्तीय वर्ष 2023–24 में Non Beneficiary Oriented Schemes के तहत् स्वीकृत गिधनी, देवघर में फिश ब्रुड बैंक के अधिष्ठापन की परियोजना हेतु कुल

मो0 417.26 लाख रु0 मात्र के परियोजना लागत में केन्द्रांश मो0 250.36 लाख रु0 मात्र की भी विमुक्ति शेष है।

3. (क) इस योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन में कुल मो0 7951.00 लाख रु0 मात्र का योजना उद्व्यय एवं समतुल्य बजट उपबंध प्राप्त है।

(ख) उक्त बजट उपबंध के अधीन स्वीकृत्यादेश सं0 03 रा0 (वि0) दिनांक 30.05.2024 द्वारा मछुआरों के बीमा हेतु मो0 58.44419 लाख रु0 एवं स्वीकृत्यादेश सं0 39 रा0 (वि0) दिनांक 14.10.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु स्वीकृत लाभुकजनित योजनाओं के लिए मो0 642.56 लाख रु0 मात्र की स्वीकृति निर्गत है।

(ग) मो0 7951.00 लाख रु0 मात्र के योजना उद्व्यय एवं समतुल्य बजट उपबंध के तहत् निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0–03 रा0 (वि0) दिनांक–30.05.2024 तथा स्वीकृत्यादेश सं0 39 रा0 (वि0) दिनांक 14.10.2024 द्वारा उपयोग किये गये बजट उपबंध के पश्चात् अवशेष बजट उपबंध के अधीन वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार के **Mother Sanction** द्वारा विमुक्त पूर्व वित्तीय वर्ष की स्वीकृत परियोजनाओं के केन्द्रांश की अगली किस्त तथा समानुपातिक स्वीकृत राज्यांश का व्यय निम्न लघु शीर्षों में किया जायेगा –

मॉंग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–77–प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (राशि लाख रू0 में)

क0	विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत्यादेश सं0 03 रा0 (वि0) दिनांक 30.05.24 द्वारा स्वीकृत राशि	स्वीकृत्यादेश सं0 39 रा0 (वि0) दिनांक 14.10.24 द्वारा स्वीकृत राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली–पालन						
1	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050010177010649	200000000.00	0.00	18110400.00	148758500.00	33131100.00
	कुल केन्द्रांश	**200000000.00**	**0.00**	**18110400.00**	**148758500.00**	**33131100.00**
2	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050010177010649	133300000.00	0.00	12073600.00	99172300.00	22054100.00
3	07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050010177010759	4000000.00	3325493.00	0.00	0.00	674507.00
4	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश – स्टेट टॉप अप) 53X24050010177010649	40000000.00	0.00	0.00	0.00	40000000.00
	कुल राज्यांश	**177300000.00**	**3325493.00**	**12073600.00**	**99172300.00**	**62728607.00**
लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना						
5	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050078977010649	100000000.00	0.00	7308000.00	48173000.00	44519000.00
	कुल केन्द्रांश	**100000000.00**	**0.00**	**7308000.00**	**48173000.00**	**44519000.00**
6	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050078977010649	66700000.00	0.00	4872000.00	32115400.00	29712600.00
7	07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050078977010759	1000000.00	635746.00	0.00	0.00	364254.00

क0	विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत्यादेश सं0 03 रा0 (वि0) दिनांक 30.05.24 द्वारा स्वीकृत राशि	स्वीकृत्यादेश सं0 39 रा0 (वि0) दिनांक 14.10.24 द्वारा स्वीकृत राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
8	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश – स्टेट टॉप अप) 53X24050078977010649	20000000.00	0.00	0.00	0.00	20000000.00
	कुल राज्यांश	**87700000.00**	**635746.00**	**4872000.00**	**32115400.00**	**50076854.00**
	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना					
9	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050079677010649	124900000.00	0.00	13135200.00	93430100.00	18334700.00
	कुल केन्द्रांश	**124900000.00**	**0.00**	**13135200.00**	**93430100.00**	**18334700.00**
10	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050079677010649	83200000.00	0.00	8756800.00	62286700.00	12156500.00
11	07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050079677010759	2000000.00	1883180.00	0.00	0.00	116820.00
12	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश – स्टेट टॉप अप) 53X24050079677010649	20000000.00	0.00	0.00	0.00	20000000.00
	कुल राज्यांश	**105200000.00**	**1883180.00**	**8756800.00**	**62286700.00**	**32273320.00**
	सकल केन्द्रांशः	**424900000.00**	**0.00**	**38553600.00**	**290361600.00**	**95984800.00**
	सकल राज्यांश	**370200000.00**	**5844419.00**	**25702400.00**	**193574400.00**	**145078781.00**
	कुल योग (2405) :	**795100000.00**	**5844419.00**	**64256000.00**	**483936000.00**	**241063581.00**

मो0 4839.36 लाख (अड़तालीस करोड़ उनचालीस लाख छत्तीस हजार) रु0 मात्र।

नोट– भारत सरकार के **Allocation of Central fund as Mother Sanction** के 3000.00 लाख रु0 के विरुद्ध इस स्वीकृत्यादेश द्वारा मो0 2903.616 लाख रु0 तथा स्वीकृत्यादेश सं0 39 रा0 (वि0) दिनांक 14.10.2024 के लिए मो0 96.384 लाख रु0 मात्र केन्द्रांश के रुप में कर्णांकित करते हुए आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

4. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे तथा भारत सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रांश की राशि के क्रम में समानुपातिक राज्यांश सहित राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से की जायेगी।

5. इस योजना के तहत् स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय Public Financial Management System (PFMS) की नई प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जायेगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा समय–समय पर संसूचित सभी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. केन्द्र प्रायोजित–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का चयन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, PFMS Division, भारत सरकार के पत्रांक 1(27)/PFMS/2020 दिनांक 04.09.2023 द्वारा SNA – SPARSH Module पर कियान्वयन हेतु किया गया है। ऐसी स्थिति में SNA – SPARSH Module पर इस संदर्भ में भारत सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर संसूचित सभी दिशा–निर्देशों के साथ–साथ भारत सरकार के पत्रांक F.No. j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) दिनांक 22.10.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये Mother Sanction में अंकित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. प्रासंगिक योजना के तहत् भारत सरकार के द्वारा संसूचित सभी दिशा निदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

8. इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मार्गदर्शिका तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0–40 रा0 (वि0) दिनांक–17.02.2022, वित्तीय वर्ष 2022–23 में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0–22 रा0 (वि0) दिनांक–07.11.2022 एवं स्वीकृत्यादेश सं0–49 रा0 (वि0) दिनांक–23.03.2023 तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0–29 रा0 (वि0) दिनांक–01.12.2023, स्वीकृत्यादेश सं0–30 रा0 (वि0) दिनांक–01.12.2023 तथा स्वीकृत्यादेश सं0–34 रा0 (वि0) दिनांक–16.01.2024 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जाएगा।

9. सभी जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा योजना का भौतिक प्रगति तथा स्थल verification प्रतिवेदन साक्ष्य सहित मत्स्य निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा।

10. इस स्वीकृत्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि का व्यय पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0–40 रा0 (वि0) दिनांक–17.02.2022, स्वीकृत्यादेश सं0–22 रा0 (वि0) दिनांक–07.11.2022, स्वीकृत्यादेश सं0–29 रा0 (वि0) दिनांक–01.12.2023 एवं स्वीकृत्यादेश सं0–34 रा0 (वि0) दिनांक–16.01.2024 के संलग्न परिशिष्टों द्वारा स्वीकृत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के लिए किया जायेगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों के द्वारा अपना अंशदान व्यय किया जाए। कार्य की प्रगति के अनुसार तीन किस्तों में अनुदान की राशि विमुक्त की जाएगी तथा अंतिम किस्त कार्य पूर्ण होने के बाद विमुक्त की जाएगी।

11. व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भौतिक प्रगति का प्रतिवेदन प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची एवं मत्स्य निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा ताकि इसे भारत सरकार को नियमित रुप से भेजा जायेगा।

12. आगामी वित्तीय वर्षों में भारत सरकार से विमुक्त राशि के समानुपातिक योजना का स्वीकृत्यादेश सम्यक् योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त करते हुए, निर्गत किया जाएगा।

13. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश, प्रशासनिक अनुमोदन एवं राशि विमुक्ति हेतु निर्गत पत्रों, Mother Sanction में निहित सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेबसाईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 45 रा0 (वि0) राँची, दिनांक 27.12.24

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 45 रा0 (वि0)/रॉची, दिनांक 27.12.24

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सभी सहायक मत्स्य निदेशक (तकनीकी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 45 रा0 (वि0)/रॉची, दिनांक 27.12.24

प्रतिलिपि : योजना–सह–विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/वरीय लेखा पदाधिकारी, PFMS, झारखण्ड, राँची/आ0 वि0 सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव